संख्या-416/22-4-2010-48(29)/05

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक-12 मार्च, 2010

विषयः- रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना हेतु पी0एल0ए0 में संरक्षित धनराशि की समय सीमा में वृद्धि किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-5453/नम-3 दि0-25.2.2010 एवं शासनादेश संख्या-1852/22-4-09-48(29)/05 दिनांक-30.10.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना से सम्बन्धित उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ के पी0एल0ए0 में संरक्षित धनराशि रू0-3,00,00,000.00 (रूपये तीन करोड़ मात्र) के उपयोग की समय सीमा दिनांक-31.03.2010 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि बढाई जा रही समय सीमा अर्थात 31.3.2010 तक धनराशि का उपयोग न होने की दशा में धनराशि राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-715 दस-2010 दिनांक-12 मार्च, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-416(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0पुलिस आवास निगम लि0, लखनऊ।
2- बजट अधिकारी (श्री लहरी यादव) वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
4- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।